अम्बिकापुर,सरगुजा(छ.ग.)

::आदेश::

क्रमांक/ 9631 /स्था.-प्रा.शा./ नियुक्ति/2022-23/ अम्बिकापुर, दिनांक 15.06.2022

छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ आर नं. 1103/2019/20 दो अटल नगर, दिनांक 09.03.2019 के अनुक्रम में लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ रायपुर के पत्र क्रमांक /स्था/विज्ञापन/सीधी भर्ती/2019/422-पी.ए. अटल नगर दिनांक 09.03.2019 के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया था। छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 12-22/2020/20-दो नवा रायपुर, दिनांक 19.02.2021 के अनुक्रम में विज्ञापित पदों हेतु छ.ग.व्यापम द्वारा जारी परीक्षा परिणाम दिनांक 16 अक्टूबर 2019 की वरीयता के आधार पर सूची से लोक शिक्षण संचालनालय छ.ग. रायपुर द्वारा आपके दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत सहायक शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला) संवर्ग-टी के पद पर आपके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर, सातवें वेतनमान के वेतन मैट्रिक्स लेवल 06 में नियुक्ति प्रदान करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 05 में अंकित शाला में पदस्थ किया जाता है :-

रोल नं.	अभ्यार्थी का नाम एव पिता/पति का नाम	जातिवर्ग	पता	पदांकित शाला का नाम	चयनित संवर्ग
1	2	3	4	5	6
18180189	भविष्य कुमार देवांगन/ श्री रामू देवांगन	अ.पि.वर्ग	ग्रा.-सिवनी तह.-चांपा जि.-जांजगीर चांपा छ.ग.	शा0उ0मा0वि0 जोरी वि0खं0-लुण्ड्रा जिला-सरगुजा	अ.पि.वर्ग

उपरोक्त नियुक्ति निम्नांकित शर्तो के अधीन होगी :-

1. शिक्षा सत्र 16 जून 2022 से प्रारंभ हो रहा है। अतः नियुक्त सहायक शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला) 16 जून 2022 तक पदांकित शाला में कार्यभार ग्रहण करेंगे।
2. नियुक्त सहायक शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला) पदांकित संस्था में दस्तावेजों के मिलान के उपरांत अनुमति प्राप्त कर शाला में कार्यभार ग्रहण कर सकेंगे। विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक को ही वास्तविक रूप से कार्यभार ग्रहण माना जायेगा।
3. नियुक्त सहायक शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला) को आदेश प्राप्ति दिनांक से 10 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर उक्त आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
4. छ.ग.शासन वित्त विभाग द्वारा जारी वित्त निर्देश 21/2020 दिनांक 29.07.2020 एवं अधिसूचना दिनांक 28.07.2020 के अनुसार सीधी भर्ती के पदों पर चयनित शासकीय सेवकों को तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में निम्नानुसार स्टायपेन्ड देय होगा:-

प्रथमवर्ष– उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत